भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/19/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्याः ए डी (ओआई) -18/2023

दिनांकः 30 सितंबर, 2023

विषय: जापान, रूस, सिंगापूर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हालोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने जापान, रूस, सिंगापूर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हालोबुटाइल रबड़ (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "एचआईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित किया है । तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद हालोबुटाइल रबड़ (एचआईआईआर) है जैसे ब्रोमोबुटाइल रबड़ (बीआईआईआर) अथवा क्लोरोबुटायल रबड़ (सीआईआईआर) हैं। एचआईआईआर को आईआईआर के आइसोप्रीन समूह के हेलोजिनेशन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उन्नत गुणों और विशेषताओं का रबड़ उत्पादित होता है । एचआईआईआर को टायर इंनर लाइनर, होज, सील, मैम्बरेन्स, टैंक लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग और खेल सामानों के लिए बाल ब्लैडर जैसे उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत टैरिफ कोडों 4002 39 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

5. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है । ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं रखते हैं । आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की "समान वस्तु" माना जा रहा है ।

6. विषय की जांच में इच्छुक पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. यह आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। आवेदक ने आगे बताया है कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक अर्थात पीजेएससी अर्थात पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम से संबंधित है । इसके अलावा यह पहले भी सिबूर टोगलियाटी से संबंधित था, जिसे टैटनैफ्ट को बेच दिया गया है । तथापि, भारत को ऐसे उत्पादों का कोई सीधा निर्यात नहीं हुआ है । निर्यात, यदि कोई हों, तो व्यापारियों के द्वारा किए गए हैं । आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास अधिकांश शेयर हैं और तद्नुसार, वह रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड पर नियंत्रण रखता है । इसके अलावा, आवेदक और निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम को नियम 2(ख) के अंतर्गत संबंधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये दोनों कंपनियां कानूनी या प्रचालनात्मक रूप से एक दूसरे को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं । तीसरी कंपनी को संयुक्त रूप से नियंत्रित नहीं करती हैं और तीसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं । तदनुसार, आवेदक ने दावा किया है कि उसे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं समझा जाना चाहिए ।

8. रिकॉर्ड में सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिलायंस इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है । उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

घ. <u>सामान्य मूल्य</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित साक्ष्य उसे नहीं मिल पाए थे । तथापि, जापान और यू एस ए के लिए आयात कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध थी जो निर्यातक देश में वस्तु की कीमत है । आवेदक ने इस आधार पर सामान्य मूल्य का साक्ष्य किया है । आवेदक ने यह बताया है कि जापान और यू एस ए को छोड़कर संबद्ध देशों के लिए उन देशों में आयात की मात्रा काफी कम थी या आयातों की कीमत उत्पादन लागत से कम थी । इस प्रकार, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं थी । तद्नुसार, सामान्य मूल्य को इन सबद्ध देशों में आयात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सका ।

10. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि रूस, सिंगापुर तथा यूनाइटेड किंगडम के लिए तीसरे देशों को निर्यात कीमत की उत्पादन लागत से कम थी । अत: इन देशों में सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

11. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है।

ड. <u>निर्यात कीमत</u>

12. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर डी जी सिस्टम के आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित करने हेतु विचार किया है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

च. <u>पाटन मार्जिन</u>

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है । इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है और पाटन

मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराता है।

छ. <u>क्षति तथा कारणात्मक संबंध</u>

14. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि आयातों ने उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा पहुंचाई है । क्षति अवधि में आयातों तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि आयातों ने ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे क्षमताओं के अल्प उपयोग का सामना करना पड़ा और उसे अपने उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करना पड़ा और उसने अपनी बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में वस्तु बेची है । आवेदक को नकद घाटे हुए हैं और वह नियोजित पूंजी पर नगण्य आय अर्जित कर पाया है । घरेलू उद्योग का निष्पादन मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों की दृष्टि से अनुमानित से काफी कम रहा है । घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. **संबद्ध देश**

16. आवेदक ने यूरोपीय संघ, जापान, रूस, सिंगापुर, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए आवेदन किया है । तथापि, प्राधिकारी को प्राप्त डी जी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ से आयात की मात्रा समान उत्पाद के आयातों के 3 प्रतिशत से कम है । तद्नुसार, वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश जापान, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) हैं ।

ञ. **जांच की अवधि**

17. आवेदन में जनवरी-दिसंबर, 2022 पर जांच अवधि के रूप में विचार करते हुए सूचना दी गई है । आवेदक ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तथा प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं । तथापि, नियमावली के नियम 5(3क) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक (12 माह) की है । क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और पीओआई की अवधि शामिल हैं ।

ट. **प्रक्रिया**

18. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ठ. **सूचना प्रस्तुत करना**

19. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देशो से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं

तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे की या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना

व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें ।

अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

त. **<u>असहयोग</u>**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी